अध्याय 7

मौलिक कर्त्तव्य

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- मौलिक कर्त्तव्य क्या हैं तथा इन्हें संविधान में समाहित किये जाने के कारण क्या हैं। संविधान में उल्लिखित 11 मौलिक कर्त्तव्यों की आवश्यकता और महत्व के बारे में सीखेंगे।
- आज के दौर में मौलिक कर्त्तव्यों का अनुपालन करना क्यों आवश्यक है तथा इनके अनुपालन से कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जो कि समाप्त हो जाएंगी।

परिचय (Introduction)

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अधिकारों का अभिप्राय है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्त्तव्यों का अर्थ है कि समाज के व्यक्ति के ऊपर कुछ ऋण हैं। समाज का उद्देश्य, किसी व्यक्ति का विकास न होकर सभी मनुष्यों के व्यक्तित्त्व का समुचित विकास है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्त्तव्य जुड़े हुए हैं। अधिकार व कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि कोई भी अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा। अधिकार व कर्त्तव्यों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली में जनता की भागीदारी अधिक होती है तो कर्त्तव्यों का वहन भी जनता के द्वारा समझदारी से किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश अधिकांश पश्चिमी राज्यों का संविधान नागरिकों के अधिकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है, परंतु उसके कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं करता है। जापान, इटली जैसे देश अपवाद हैं जिसने उदारपंथी लोकतंत्र के 'पाश्चात्य मॉडल' को अपनाने के साथ-साथ अपने संविधान में अनेक प्रकार के कर्त्तव्यों को भी स्थान दिया है। इन्हें रूस-चीन जैसे देशों में विशेष स्थान दिया गया है परंतु वर्तमान में लगभग सभी देशों में भी इसे अपनाया जा रहा है।

संविधान में मूल कर्त्तव्यों की आवश्यकता (Need for Fundamental Duties in Constitution)

संविधान संशोधन समिति (डॉ. स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में) के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि जहाँ भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है, वहीं मूल कर्त्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक और अन्योन्याश्रित होते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(क) नये भाग-4-क के अंतर्गत अन्त: स्थापित किया गया और उसमें दस मूल कर्त्तव्यों को उपबंधित किया गया। बाद में 86वाँ संशोधन 2002 द्वारा एक अन्य कर्त्तव्य जोड़ा गया। संविधान के उपबंध पर ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान जहाँ मूल अधिकारों से सम्बन्धित है वहीं उन मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध अधिरोपित करने के लिए भी उपबन्ध है, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ कर्त्तव्यों को ही अधिरोपित किया गया है। रामशरण बनाम भारत संघ (1989) में यह विनिश्चित किया गया कि संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 51-क में उपबन्धित मूल कर्त्तव्यों के प्रवर्तन के लिए या उल्लंघन करने के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है किंतु यदि कोई विधि इन कर्त्तव्यों को प्रभावी करने के लिए है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के सम्बन्ध में युक्तियुक्त मानेगा और उसे असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा।

संविधान में उल्लिखित 11 मौलिक कर्त्तव्य

मूल संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(ए) में दस मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया। (इसके पश्चात वर्ष 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्त्तव्य को भी जोड़ा गया।) संविधान में उल्लिखित 11 मौलिक कर्त्तव्य इस प्रकार हैं:

1. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम-पवित्र कर्त्तव्य है।
4. देश की रक्षा करें और जब कभी राष्ट्र की सेवा का आह्वान हो, तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे।
5. भारत में धार्मिक, भाषायी, प्रादेशिक और वर्गीय विभिन्नताएं मौजूद हैं। इसलिए विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और भाई-चारा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक कर्त्तव्य है। नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे उन प्रथाओं का बहिष्कार करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उनका प्रशिक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं, की रक्षा और उनका संवर्धन करे तथा प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए तथा 'मानववाद' और 'अन्वेषण व सुधार की भावना' का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊँचाईयों को छू सके।
11. अभिभावकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।

तालिका 7.1: मूल कर्त्तव्यों का वर्गीकरण: एक दृष्टि में

नैतिक कर्त्तव्य	राजनीतिक कर्त्तव्य	विशेष कर्त्तव्य
1. स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना।	1. संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना।	1. प्राकृतिक वातावरण को संरक्षण करना।
2. राष्ट्र की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को बनाए रखना।	2. भारत की प्रभुता, एकता संस्कृति को बनाए रखना।	2. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और अखण्डता की रक्षा करना।
3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।	3. देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना।	
4. प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करना।		
5. समान बन्धुत्व की भावना का विकास करना।		
6. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा।		

मौलिक कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन (Execution of Fundamental Duties)

संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा इसमें से किसी कर्त्तव्य का प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन संभव है। इनके उल्लंघन को रोकने के लिए कोई प्रावधान भी नहीं है परंतु यह आशा की जा सकती है कि किसी कानून की संवैधानिकता को निर्धारित करने के क्रम में यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि इनमें से किसी एक कर्त्तव्य का मूर्त रूप देना है तो इसे अनुच्छेद 14 या 19 के आलोक में इस तरह के किसी कानून को 'युक्तिसंगत' समझने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि चूंकि ये कर्त्तव्य किसी नागरिक के लिए अनिवार्य हैं, राज्य को भी स्पष्टत: इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। अत: न्यायालय इन मुद्दों पर और उपयुक्त मामलों में उचित निर्देश दे सकता है। जहां किसी विधि के एक से अधिक निर्वचन संभव हो, न्यायालय नागरिकों के मल कर्त्तव्यों संबंधित उपबंधों का सहारा ले सकती हैं। रामप्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद न्यायाल ने कहा कि संविधान से भाग 4(क) का समावेश होने से नागरिकों के कर्त्तव्यों के अनुपालन का मामला संवैधानिक विधि के क्षेत्र में आ गया है और अब इस पर विचार किया जा सकता है। संविधान नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह अपने दायित्वों का निर्वाह आधे मन से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। शासक और विधायक, मंत्री, सांसद और प्रशासक सभी को न केवल नागरिकों के कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, अपितु नागरिक होने के नाते अपने मूल कर्त्तव्यों के पालन के प्रति भी पूर्णतया सचेत रहना चाहिए।

मूल कर्त्तव्य और नीति निदेशक तत्त्वों में तुलना

मूल कर्त्तव्य नागरिकों को संबोधित है। राष्ट्र नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करें, वे राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिये सक्रिय सहभागी हैं मात्र दर्शक नहीं। निदेशक तत्त्व संविधान द्वारा सभी सरकारों के लिये बताए गए ध्येय हैं। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि विधि के निर्माण में उन सिद्धांतों को लागू करे (अनुच्छेद 37) किंतु यदि कोई राज्य किसी तत्त्व को लागू नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसके लिये कोई विधिक अनुशासित नहीं है। एक मात्र अनुशासित जनता की राय है। इसी प्रकार कर्त्तव्यों के साथ भी कोई अनुशस्ति नहीं जुड़ी है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अंतर्मुखी होकर विचार करे और इन कर्त्तव्यों को करने का प्रयास तथा अनुशस्ति उसे स्वयं लगानी होगी। कानून की संवैधानिकता को पुष्ट करने के लिये न्यायालय निदेशक तत्त्वों पर दृष्टि डालते हैं। इसी प्रकार उचित मामलों में न्यायालय मूल कर्त्तव्यों पर भी समुचित ध्यान देंगे। न्यायालय ऐसी विधि को विधिमान्य ठहराएंगे जो ऐसे कार्य से प्रतिबद्ध करती है जो की कर्त्तव्यों का उल्लंघन है। मूल कर्त्तव्य मूल्यवान दिशा दर्शन करते हैं और संविधान के निर्वचन में सहायक हो सकते हैं। न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो इन कर्त्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए।

मौलिक कर्त्तव्यों की आलोचना

देश के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान और कानूनों का पालन करे, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहे तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इस दृष्टि से यदि कर्त्तव्यों को लें तो वे निर्विवाद माने जायेंगे, परंतु जिस रूप में कर्त्तव्य हमारे संविधान में रखे गए हैं, उससे विद्वान संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संविधान के इस भाग की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है—इसे आंतरिक आपातकाल के दौरान जबकि देश के विचारक, विद्वान, विधिवेत्ता तथा राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उस समय 42वें संशोधन द्वारा इन कर्त्तव्यों को एकांगी रूप में संविधान में जोड़ दिया गया। इस संबंध में जनता, उसके नेताओं को व समाज बुद्धिवादी वर्ग को इस पर विचार करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ और सत्तारूढ़ दल के द्वारा मनमाने ढंग से इसकी रचना कर दी गई। आलोचकों का कहना है कि, संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, परंतु 'कर्त्तव्यों' वाले भाग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है जैसे—'मिली-जुली संस्कृति', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण', 'अन्वेषण और सुधार की भावना' तथा 'मानववाद' आदि। यह ऐसे शब्द हैं, जिनका अर्थ सर्वदा अस्पष्ट है। कई ऐसे कर्त्तव्य हैं जिन्हें मात्र दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, तीसरा कर्त्तव्य कहता है कि नागरिक को भारत की सम्प्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, लगभग यही बात चौथे कर्त्तव्य में इन शब्दों में रखी गई कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। छठे कर्त्तव्य के अंतर्गत जिस 'मिली-जुली संस्कृति' की बात कही गई है, लगभग वही बात पांचवे कर्त्तव्य में भी आ गई है। स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्त्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दण्ड दिया जाए और उसके लिए उचित कानूनों का निर्माण किया जाए, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वास्तव में कर्त्तव्यों के वर्तमान रूप को देखते हुए दण्ड की व्यवस्था का प्रावधान करना उचित प्रतीत नहीं होता

मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व

आलोचनाओं व विरोधों के बावजूद मौलिक कर्त्तव्यों का विशेष महत्व है। नागरिकों की कर्त्तव्य विमुखता किसी राष्ट्र के लिए घातक होती है परन्तु भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्त्तव्य विवादहीन हैं। इन पर विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद नहीं हैं। ये कर्त्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल हैं। इनमें से अधिकतर कर्त्तव्यों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मौलिक कर्त्तव्यों का पालन भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्त्तव्यों के पीछे कोई कानूनी शक्ति या बल नहीं है बल्कि इनका स्वरूप नैतिक माना जाता है। कर्त्तव्यों के नैतिक स्वरूप को सामाजिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मौलिक कर्त्तव्य एक मार्ग दर्शक का कार्य करते हैं। मौलिक कर्त्तव्यों के पालन द्वारा व्यक्ति उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। कर्त्तव्यों का पालन सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्त्व रखता है। अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों का आनंद तभी उठा पाएंगे यदि हम अपने मौलिक कर्त्तव्यों का पालन करें। जिस राष्ट्र के नागरिकों ने अपने कर्त्तव्यों को महत्त्व दिया है और मानवता, समाज एवं राष्ट्र को प्रमुखता दी है वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। मौलिक कर्त्तव्य, राष्ट्र प्रेम, त्याग सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

अध्याय सार संग्रह

- संविधान में मूल कर्त्तव्यों के प्रवर्तन अथवा इनके उल्लंघन के निवारण के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।
- इसके लिए 42वां संविधान संशोधन संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की व्यवस्था करे। लेकिन अभी तक संसद ने इस संदर्भ में कोई भी विधि नहीं बनाई है।
- यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे सभी देश जहाँ पर मौलिक कर्त्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है वहाँ पर उन्हें काम पाने का अधिकार भी दिया गया है।
- एक भूखे एवं नंगे व्यक्ति की पहली प्राथमिकता उसका पेट भरना होता है उससे यह आशा करना कि वह किसी कर्त्तव्य का पालन भी करेगा एक हास्यास्पद अवधारणा ही मानी जाएगी।
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कर्त्तव्य नागरिकों का आबद्धकर है। अतएव, राज्य को इन तथ्यों को प्राप्त करने का उत्कृष्ट प्रयास करना चाहिए, जैसे—वन संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा जिनके लिए अनुच्छेद 51-क के खण्ड (छ) में आदेश दिया गया है। अतएव, न्यायालय समुचित मामलों में उपयुक्त निर्देश दे सकता है।
- मूल कर्त्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति (1974) की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है।
- वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया है।
- भारतीय संविधान में नागरिकों के लिये मूल कर्त्तव्यों की प्रेरणा कुछ अंश तक पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मिली थी।
- मूल कर्त्तव्यों के पालन न किये जाने पर दण्ड की कोई व्यवस्था न होने से मूल कर्त्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता है।
- मूल कर्त्तव्यों को भंग करने के लिये यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह कानून बनाकर मूल कर्त्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिये दण्ड की व्यवस्था करे।
- राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक कर्त्तव्य नहीं बल्कि इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है।
- मूल कर्त्तव्य मूल्यवान मार्गदर्शन करते हैं जिसका पालन भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है।